(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149 / 2012 जीसीएमएस नम्बर :– 2012 / 00033

1. लिछमा देवी पत्नी स्व0 जगमाल सिंह उम्र 65 साल जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.................वादीया

बनाम

1. जयनारायण पुत्र मूलचन्द उम्र 70 साल
2. प्रभुसिंह पुत्र मुलचन्द उम्र 68 साल
3. विरेन्द्र पुत्र मूलचन्द उम्र 55 साल
4. नगेश पुत्र चेतराम उम्र 55 साल
5. ठाकरसिंह पुत्र तेजाराम उम्र 60 साल
6. प्रभाती देवी पत्नी इन्द्राजसिंह उम्र 70 साल
7. सत्यवीर पुत्र इन्द्राजसिंह उम्र 50 साल
8. महीपाल पुत्र इन्द्राजसिंह उम्र 48 साल
9. राजेन्द्र पुत्र इन्द्राजसिंह उम्र 45 साल
10. मातुसिंह पुत्र तेजाराम उम्र 65 साल
11. बदामा पत्नी उदमीराम उम्र 65 साल
12. विजेन्द्र पुत्र उदमीराम उम्र 45 साल
13. ईश्वरसिंह पुत्र उदमीराम उम्र 43 साल
14. महीपाल पुत्र उदमीराम उम्र 40 साल
15. जयसिंह पुत्र उदमीराम उम्र 38 साल
16. सुभाष पुत्र उदमीराम उम्र 35 साल समस्त जाति जाट निवासीगण गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
17. कमला पुत्री उदमीराम पत्नी हेमराज उम्र 30 साल जाति जाट निवासी स्यालु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0
18. प्रतापसिंह पुत्र दाताराम उम्र 55 साल
19. अमरसिंह पुत्र दाताराम उम्र 53 साल
20. मन्दरूप पुत्र दाताराम उम्र 50 साल
21. भागली पत्नी दाताराम उम्र 75 साल
22. धर्मपाल पुत्र रामूराम उम्र 65 साल
23. दलीप पुत्र रामूराम उम्र 62 साल
24. राजपाल पुत्र रामूराम उम्र 55 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

25. किस्तूरी पत्नी रामूराम उम्र 78 साल
26. मीरसिंह पुत्र नोपाराम उम्र 50 साल
27. प्रताप पुत्र नोपाराम उम्र 55 साल
28. सत्यवीर पुत्र नोपाराम उम्र 45 साल
29. बिमला पुत्री नोपाराम उम्र 42 साल
30. मातुराम पुत्र श्योकरण उम्र 60 साल
31. भगोती पत्नी मालाराम उम्र 55 साल
32. सुनील पुत्र मालाराम उम्र 25 साल
33. अनिल पुत्र मालाराम उम्र 23 साल
34. सुनीता पुत्री मालाराम उम्र 20 साल
35. रामेश्वरी पत्नी मातुराम उम्र 60 साल
36. संजीव पुत्र धर्मचन्द उम्र 45 साल
37. सरजीत पुत्र धर्मचन्द उम्र 42 साल
38. जानकी देवी पत्नी धर्मचन्द उम्र 62 साल
39. भतेरी पत्नी सुरेश कुमार उम्र 46 साल
40. दीपक पुत्र सुरेश कुमार उम्र 18 साल जाति समस्त जाट निवासीगण गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
41. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये प्रबन्धक गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

दावा बाबत– घोष्णात्मक व नक्शा दुरूस्ती

<u>–:निर्णय:–</u> दिनांक:– 2/4/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित वादीया की खातेदारी की पैतृक भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के हाल खसरा नम्बर 293 रकबा 0.020 है0, ख0 न0 294 रकबा 3.12 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0, स्थित है इस भूमि के हाल बन्दोबस्त पूर्व गत ख0 न0 70 रकबा 3.12 है0, व ख0 न0 71 रकबा 0.020 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0, थे। वादीगण की उक्त भूमि के उतर दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 25 की खातेदारी भूमि ख0 न0 276 व 295 स्थित है जिसके गत ख0 न0 69 थे तथा पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की ख0 न0 277 जिसके गत ख0 न0 72 थे व दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की भूमि ख0 न0 292 व 290 व 320 स्थित है जिसके गत ख0 न0 ... थे इसके अलावा दक्षिण दिशा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 40 की खातेदारी भूमि हाल ख0 न0 298 जिसके गत ख0 न0 89 थे।

2. यह कि वादीया की भूमि गत ख0 न0 70 व 71 का नक्शा किश्तवार संवत 1993 अर्थात सन् 1936—37 आकार में सही था लेकिन हाल ही में जब बन्दोबरत किया गया एवं बन्दोबरत बाद वादीया की भूमि गत ख0 न0 70 व 71 के हाल ख0 न0 294 व 293 बनाये गये एवं नक्शा किस्तवार सन् 1979—80 बनाया गया तो वादीया की भूमि हाल ख0 न0 293 व 294 का नक्शा किश्तवार आकार में छोटा बना दिया गया एवं वादीया की भूमि हाल ख0 न0 293 व 294 के दक्षिणी व पूर्वी भाग का कही 6 मीटर कही 8 मीटर कही पर 7 मीटर चौड़ाई में क्षेत्रफल सम्पूर्ण उतरी व दक्षिणी सीमा का प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 की भूमि ख0 न0 300 व प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 25 की भूमि 296 व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 40 की भूमि ख0 न0 298 में शामिल कर दिया है जबकि रिकार्ड आफ राईटस (जमाबन्दी) में वादीया का रकबा 3.14 हैक्टर सही दर्ज है इस प्रकार हाल पैमाईश विभाग ने नक्शा किश्तवार सन् 1979—1980 वादीया की भूमि ख0 न0 293 व 294 का आकार में छोटा बना दिया गया जिसका हाल बन्दोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश निर्णय अथवा डिक्री कोई अधिकार नही था। पैमाईश विभाग की यह त्रूटि दुरूस्ती योग्य है एवं वादियाय के हक अधिकारों पर शुन्य हैं।

3. यह कि वादिया की भूमि का नक्शा आकार में छोटा बना देने के कारण जब वादिया की भूमि की नपती करते है तो उसका रकबा पुरा नही होता है इस प्रकार प्रतिवादीगण नाजायज रूप से वादिया की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जबकि वादिया मौके पर अपने 3.14 हैक्टर भूमि पर काबिज है। वादिया ने अपनी उक्त भूमि का तहसीलदार बुहाना के आदेशानुसार सीमाज्ञान करवाया है वादिया का खेत नक्शा किश्तवार संवत 1993 अर्थात सन् 1936—37 के अनुसार नपती करने पर खेत सही पाया गया लेकिन जब नक्शा किश्तवार सन् 1979—80 के अनुसार नपती की तो वादिया का खेत दक्षिणी पूर्वी भाग में कही पर 6 मीटर कही पर 8 मीटर व कही पर 7 मीटर चौड़ाई में प्रतिवादीगण की भूमि में नक्शे में शामिल पाया गया इस प्रकार वादिया की भूमि उसके पड़ोसी खातेदार जो दक्षिणी व पूर्वी सीमा ख0 न0 300, 298, 296 में मिला हुआ होने की जानकारी हुई जिसके लिये वादिया द्वारा यह नक्शा दुरूस्ती का के लिए दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

4. यह कि भूमि हाल ख0 न0 293 व 294 रकबा 3.14 हैक्टर के वादिया काबिज काश्त है लेकिन जिसकी भूमि का हाल नक्शा किश्तवाद सन 1979—80 आकार में छोटा बना देने से वादिया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका [illegible] मूल्यांकन नही किया जा सकता है।

5. यह कि दावे के लिए आधार विवाद [illegible] अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने से पता चला कि उसकी भूमि हाल पैमाई[illegible] विभाग द्वारा नक्शा किश्तवार सन् 1979—80 आकार में छोटा बनाकर वादिया की दक्षिणी व पूर्वी सीमा कही पर 6 मीटर कही पर 8 मीटर व कही पर 7 मीटर चौड़ाई में पूरी दक्षिणी पूर्वी सीमा की लम्बाई तक कम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादीगण के खेत ख0 न0 300, 298 व 296 में मिला देने से पैदा हुआ अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

6. यह कि वादिया की उक्त ख0 न0 294 की भूमि के दक्षिणी व पूर्वी भाग का कुछ हिस्सा ख0 न0 300, 298 व 296 में मिला देने से प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 40 उसका फायदा उठाकर उक्त बढी हुई भूमि जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि उक्त भूमि वादिया के ही कब्जे काश्त मे है जिसके लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो मौके पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). यह वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित वादीया की भूमि हाल ख0 न0 293 रकबा 0.020 है0, ख0 न0 294 रकबा 3.12 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0, का नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को दुरूस्त कर वादिया की भूमि के इस नक्शा की सम्पूर्ण दक्षिणी व पूर्वी रकबा को 7 मीटर तक दक्षिण व पूर्व में प्रतिवादीगण की ख0 न0 300, 298 व 296 की तरफ बढाया जाकर वादिया की भूमि ख0 न0 294 व 293 के नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को आकार में इस भूमि के गत ख0 न0 70 व 71 के नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 (सवत् 1993) के अनुसार बनाया जाकर दुरूस्त किया जावे व वादिया को इसका बाद दुरूस्ती खातेदार घोषित किया जावे।

(ख). कि प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 40 को वाद के निरस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वादिया के कब्जे काश्त में दखलांदाजी न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा रूप से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 एवं प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 42 की तलबी असालतन व प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 16 की तलबी माता से तामील होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 17.12.2014 को लाई गई। तथा तहसीलदार बुहाना को मौका रिपोर्ट हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 421 दिनांक 26.07.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2231 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुए मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया गया प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:32:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, मौका रिपोर्ट एवं ... जमाबन्दी पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2067–2070 वाके ग्राम गाडाखेड़ा स्थित भूमि हाल ख0 न0 293, 294 में वादीया का नक्शा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

किश्तवार सन् 1979–80 को दुरूस्त कर वादिया को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादीया की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीया द्वारा पेश बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2067–2070, जमाबन्दी सम्वत 2015–2018, जमाबन्दी सम्वत 2023–2026, नक्शा शीट 1936–37 व सन् 1979–80, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादीया का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीया का घोषणात्मक व नक्शा दुरूस्त कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित वादीया की भूमि हाल ख0 न0 293 रकबा 0.020 है0, ख0 न0 294 रकबा 3.12 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0, का नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को दुरूस्त कर वादिया की भूमि के इस नक्शा की सम्पूर्ण दक्षिणी व पूर्वी रकबा को 7 मीटर तक दक्षिण व पूर्व में प्रतिवादीगण की ख0 न0 300, 298 व 296 की तरफ बढाया जाकर वादिया की भूमि ख0 न0 294 व 293 के नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को आकार में इस भूमि के गत ख0 न0 70 व 71 के नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 (सवत् 1993) के अनुसार बनाया जाकर दुरूस्त किया जाकर व वादिया को इसका बाद दुरूस्ती खातेदार घोषित कर रिकार्ड / नक्शा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 2/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी, I)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 149/2012 जीसीएमएस नम्बर :– 2012/00033

लिछमा देवी बनाम जयनारायण आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक व नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादीया की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एड्वोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीया का घोषणात्मक व नक्शा दुरूस्त कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित वादीया की भूमि हाल ख0 न0 293 रकबा 0.020 है0, ख0 न0 294 रकबा 3.12 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0, का नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को दुरूस्त कर वादिया की भूमि के इस नक्शा की सम्पूर्ण दक्षिणी व पूर्वी रकबा को 7 मीटर तक दक्षिण व पूर्व में प्रतिवादीगण की ख0 न0 300, 298 व 296 की तरफ बढाया जाकर वादिया की भूमि ख0 न0 294 व 293 के नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को आकार में इस भूमि के गत ख0 न0 70 व 71 के नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 (सवत् 1993) के अनुसार बनाया जाकर दुरूस्त किया जाकर व वादिया को इसका बाद दुरूस्ती खातेदार घोषित कर रिकार्ड/नक्शा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:52:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर बुहाना